न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 41/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री जगदीश नारायण पुत्र श्री ग्यारसी लाल विजय
एफबीओ मैसर्स— विजयवर्गीय किराना स्टोर, भाण्डारेज मोड, तह0 जिला दौसा।
2. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सीताराम खण्डेलवाल
एफबीओ मैसर्स— अनिल एजेन्सीज, सुन्दरदास मार्ग, दौसा।
3. श्री ओमप्रकाश डंगायच पुत्र श्री सत्यनारायण पार्टनर मैसर्स— जयपुर सेल्स कॉर्पोरेशन, च—3, सूरजपोल मण्डी, जयपुर।
4. श्री चन्द्र प्रकाश डंगायच पुत्र श्री सत्यनारायण पार्टनर मैसर्स— जयपुर सेल्स कॉर्पोरेशन, च—3, सूरजपोल मण्डी, जयपुर।
5. श्री राहुल वैद पुत्र श्री तिलक राज वैद नोमिनी मैसर्स क्वालिटी लिमिटेड, सी—64, रोड नं0 1 सी, वीकेआई एरिया, जयपुर।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री गणपत शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 01.11.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 28.8.2016 को दोपहर बाद 03:30 बजे मैसर्स — विजयवर्गीय किराना स्टोर, भाण्डारेज मोड, तह0 जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री जगदीश नारायण पुत्र श्री ग्यारसी लाल विजय उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। जो संलग्न है।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान की एक रैक में 500 एमएल पैकिंग में पैक घी (डेयरी बेस्ट एगमार्क) के 20 पैकिट आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे, में मिलावट का शक होने पर इनमे से 4 मूल पैकिट X 500 एमएल वजन के घी (डेयरी बेस्ट एगमार्क) नमूने

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

की जॉच हेतु खरीदे। जिनकी कीमत 720 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। जो संलग्न है। विक्रेता ने मौके पर उक्त खाद्य पदार्थ का इनवॉयस नं0 2957 दिनांक 9.8.2016 प्रस्तुत किया, जो संलग्न है।

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा घी (डेयरी बेस्ट एगमार्क) के पैकिटो पर चिपकाकर पैकिटो को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर पैकिटो पर डी0ओ व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर एजी–1472 गोंद से चिपकाकर पैकिटों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सीलबन्द पैकिटों को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की तथा अलग से जरिये डाक एक प्रति मुल्जिम सं0 2 को भेजी, जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा गोकुलचन्द च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 29.8.2016 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 29.8.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 30.8.2016 को डी.ओ. व सी.एम. एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ घी (डेयरी बेस्ट एगमार्क) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2576/एक्ट/2016/3002 दिनांक 30.8.2016 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (डेयरी बेस्ट एगमार्क) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को पढकर सुनाया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ घी (डेयरी बेस्ट एगमार्क) में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गयी है। उक्त खाद्य पदार्थ के रखरखाव की कमी से निर्धारित मापदण्ड में आंशिक रूप से कमी हो

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सकती है। अतः कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण को ड्रोप फरमावे।

हमने उभयपक्ष कि बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2576/एक्ट/2016/3002 दिनांक 30.8.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (डेयरी बेस्ट एगमार्क) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) का उल्लंघन है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (डेयरी बेस्ट एगमार्क) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लघंन करने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 श्री जगदीश नारायण पुत्र श्री ग्यारसी लाल विजय एफबीओ मैसर्स– विजयवर्गीय किराना स्टोर, भाण्डारेज मोड, तह0 जिला दौसा पर 2000/–(अक्षरे दो हजार रूपये) एवं अप्रार्थी सं0 2 श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सीताराम खण्डेलवाल एफबीओ मैसर्स– अनिल एजेन्सीज, सुन्दरदास मार्ग, दौसा पर 2000/–(अक्षरे दो हजार रूपये), एवं अभियुक्त स0 3 व 4 श्री ओमप्रकाश, चन्द्रप्रकाश डंगायच पुत्र श्री सत्यनारायण पार्टनर मैसर्स– जयपुर सेल्स कॉर्पोरेशन, च–3, सूरजपोल मण्डी, जयपुर पर 6000/–(अक्षरे छः हजार रूपये) एवं श्री राहुल वैद पुत्र श्री तिलक राज वैद नोमिनी मैसर्स क्वालिटी लिमिटेड, सी–64, रोड नं0 1 सी, वीकेआई एरिया, जयपुर पर 11000/–(अक्षरे ग्यारह हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 01.11.2017 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ 6835-41
दिनांकः–01 .11.2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री जगदीश नारायण पुत्र श्री ग्यारसी लाल विजय एफबीओ मैसर्स– विजयवर्गीय किराना स्टोर, भाण्डारेज मोड, तह0 जिला दौसा।
4. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सीताराम खण्डेलवाल एफबीओ मैसर्स– अनिल एजेन्सीज, सुन्दरदास मार्ग, दौसा।
5. श्री ओमप्रकाश डंगायच पुत्र श्री सत्यनारायण पार्टनर मैसर्स– जयपुर सेल्स कॉर्पोरेशन, च–3, सूरजपोल मण्डी, जयपुर।
6. श्री चन्द्र प्रकाश डंगायच पुत्र श्री सत्यनारायण पार्टनर मैसर्स– जयपुर सेल्स कॉर्पोरेशन, च–3, सूरजपोल मण्डी, जयपुर।
7. श्री राहुल वैद पुत्र श्री तिलक राज वैद नोमिनी मैसर्स क्वालिटी लिमिटेड, सी–64, रोड नं0 1 सी, वीकेआई एरिया, जयपुर।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा